

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/लेखा/एससी-एसटी/2018-19

दिनांक 22.01.19

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

गंगानगर/हनुमानगढ़/जयपुर/जैसलमेर/जालौर/

झालावाड़/झुझुनु/जोधपुर/करौली/कोटा/नागौर/पाली/

प्रतापगढ़/राजसमंद/सवाईमाधोपुर/सीकर/सिरोही

विषय : अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक (कक्षा 6-8) छात्रवृत्ति हेतु आवंटित बजट में संशोधन बाबत।

प्रसंग : इस अनुभाग का पत्रांक शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/एससी-एसटी/2018-19 दिनांक 18.01.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक (कक्षा 6-8) छात्रवृत्ति हेतु बजट आवंटन वर्ष 2018-19 के विद्यार्थियों के लिए राज्य निधि का आवंटन प्रासंगिक पत्र के द्वारा निम्न जिलाशिक्षा अधिकारियों को किया गया था अब आवंटित बजट में संशोधन कर लेखामद 2202-02-107-06-02 13(राज्य निधि) में निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है।


क्र. सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला का नाम	जहां से प्रत्याहरित किया जाना है	आवंटित राशि(राज्य निधि)
1	2735	Ganganagar	842467	12442
2	3282	Hanumangarh	12442	6982
3	10196	Jaipur	6982	1164555
4	13291	Jaisalmer	1164555	47040
5	14459	Jalore	47040	307230
6	22087	Jhalawar	307230	483788
7	5349	Jhunjhunu	483788	95130
8	13122	Jodhpur	95130	111562
9	8055	Karoli	111562	795952
10	21597	Kota	795952	260768
11	12261	Nagaur	260768	14754
12	15571	Pali	14754	404724
13	22191	Pratapgarh	404724	2937324
14	18401	Rajsamand	2937324	399525
15	8468	S. Madhopur	399525	783246
16	11216	Sikar	783246	180862
17	14800	Sirohi	180862	842467
		TOTAL	8848351	8848351

कुल राशि रुपये अठासी लाख अड़तालिस हजार तीन सौ इक्यावन मात्र

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. उक्त राशि का 750/- प्रति छात्र तथा 1250/- प्रति छात्रा के हिसाब से भुगतान किया जाना है।
2. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।


4. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण निदेशकों/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यार्थियों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में भामाशाह डाटा पोर्टल के माध्यम से जमा करवाई जावे।
5. उक्त आवंटित राशि का उपयोग दिनांक 30.01.2019 तक कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/एससी-एसटी/2018-19

दिनांक :- 22.01.19

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
3. उपनिदेशक, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
4. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविस-माध्य/छाप्रोप्र/बी/उ.मै./2018-19

दिनांक 22.01.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक स्कूल शिक्षा

विषय : अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक के लिए बजट आवंटन (राज्य निधि)

प्रसंग : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पत्रांक प. 3(2)(7) / बजट/छात्र.अजजा
/सा न्या.अ.वि./2018-19/81476-82 दिनांक 27/11/2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के वर्ष 2016-17 व 2017-18 तक के वर्षों में शेष रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2018-19 में राज्य निधि का आवंटन निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक स्कूल शिक्षा को लेखामद 2225-02-796-06-01 13 उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

S.No.	DEOs(H.Q)	OFFICE ID	SF	TOTAL
1	AJMER	16289	62100	62100
2	ALWAR	6452	3040600	3040600
3	BANSWARA	21127	16795750	16795750
4	BARAN	21800	878600	878600
5	BARMER	13976	402500	402500
6	BHARATPUR	7236	276000	276000
7	BHILWARA	17971	2691000	2691000
8	BIKANER	3735	25300	25300
9	BUNDI	17137	395900	395900
10	CHITTORGARH	21402	94300	94300
11	CHURU	4492	110400	110400
12	DAUSA	8914	7692350	7692350
13	DHOLPUR	7576	654350	654350
14	DUNGARPUR	20897	18900500	18900500
15	HANUMANGARH	3282	29900	29900
16	JAIPUR	10196	2434550	2434550
17	JAISALMER	13291	39100	39100
18	JALORE	14459	253000	253000
19	JHALAWAR	22087	639400	639400
20	JHUNJHUNU	5349	262200	262200
21	JODHPUR	13122	108100	108100
22	KARALI	8055	3200450	3200450
23	KOTA	21597	127650	127650
24	PALI	15571	171350	171350
25	PRATAPGARH	22191	4540200	4540200
26	RAJSAMAND	18401	264500	264500
27	SAWAI MADHOPUR	8468	2585200	2585200
28	SIKAR	11216	477250	477250
29	SIROHI	14800	1481200	1481200
30	SRI GANGANAGAR	2735	27600	27600
31	TONK	16781	594550	594550
32	UDAIPUR	20688	4798950	4798950
	TOTAL		74054800	74054800

कुल राशि रुपये 74054800 (अक्षरे रुपये सात करोड़ चालीस लाख चौवन हजार आठ सौ मात्र) का बजट आवंटन किया जाता है।

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे व **विद्यार्थियों का आंशिक भुगतान नहीं किया जाये।**
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. **छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।**
4. उक्त बजट राशि का उपयोग का उपयोग दिनांक 30.01.2019 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करवायें।

www.rajteachers.com



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य / छाप्रोप्र / बी / उ.मै. / 2018-19

दिनांक 22.01.19

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
3. लेखाधिकारी बतट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर